

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का, वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

अनुमानित वन भूमि :- 2.125 हे०

खण्ड का नाम :- निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक संरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरक्षण तलाश जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लेण्ड शीड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लंबाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार साट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/ सारंश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वारंशविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिवद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	-
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों को आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का आकलन। (5.00 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

अध्याय-3

वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनका प्रारूप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (Online) प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15-08-2014 से वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल www.moef.nic.in पर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनाएँ/प्रपत्र संलग्न किये जाने हैं तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों का सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के साथ वॉछित सूचनाएँ संलग्न नहीं की जा रही हैं व अथूरा प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अथूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित बैंक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग-अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची सारणी-12

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	-
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभावीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० सिडि के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक /

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की अध्यक्षता।	33	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
35.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फॉर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक वाले मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	37	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों का मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लामाधित होने वाले मानों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान सूच्य/लैंड रेस्ट का प्रमाण-पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन नया मानचित्र। (1.00 ई० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
46.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	43	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
47.	150,000 पैमाने का टोपोग्राफ का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
48.	समीत गुगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पक्ष वृक्षारोपण/ दल गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबंध।	48.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक / डी० एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी० एफ०ओ०
53.	मातृ स्तर पर के निर्देशानुसार दस एन०पी०डी० की धनराशि का आकलन।	50.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
54.	एन०पी०डी० की वर्तमान दरों में बृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान दिखाने का प्रमाण-पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रस्तावित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
56.	सीमा अर्थात् रा प्रमाण-पत्र। (वन भूमि सीमा पर स्थित जाने/लौज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की वशा में विवरण।	54.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक
	जल विद्युत परियोजना हेतु कैंट प्लान (यदि लागू हो) व	55.	डी०एफ०ओ०/	डी०एफ०ओ०/

58.	कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	उच्चस्तरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	प्रस्तावक	—
60.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फारमेट में उपलब्ध कराना।	प्रस्तावक	—

नोट :-उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी-13

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	सड़कों के चौड़ीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चौड़े किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	—

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें।

सारणी-14

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य वन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि सिविल सोयम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित वन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०